कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

- चूरू में ग्राम विकास अधिकारी को 50 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथो किया गिरफ्तार
- आवास व अन्य ठिकानो की तलाशी जारी

जयपुर, 9 मार्च। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीवी की चूरू ईकाई द्वारा कार्यवाही करते हुये आज मंगलवार को ग्राम राजपुरा, तहसील तारानगर जिला चूरू के ग्राम विकास अधिकारी महावीर प्रसाद को 50 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथो गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया की एसीबी की चूरू इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि ग्राम पंचायत साहवा के पदस्थापन के दौरान करवाये गये विकास कार्यो की सीसी पर हस्ताक्षर करने की एवज में ग्राम विकास अधिकारी महावीर प्रसाद द्वारा 3 लाख रूपये की रिश्वत मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी चूरू के **अति. पुलिस अधीक्षक श्री आनन्द प्रकाश स्वामी** द्वारा शिकायत का सत्यापन किया जाकर उनकी टीम के साथ कार्यवाही करते हुये **महावीर प्रसाद** पुत्र श्री भादर राम प्राजापत निवासी गोगटिया चारणान, तहसील तारानगर जिला चूरू **हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम राजपुरा, तहसील तारानगर जिला चूरू** को परिवादी से **50 हजार रूपये की रिश्वत** राशि लेते हुये रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानो की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले मे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की **टोल–फ्री हैल्पलाईन नं. 1064** एवं Whatsapp **हैल्पलाईन नं. 94135–02834** पर 24×7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्व अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियो के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कर्मियो के विरूद्व भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।

Scanned with CamScanner